भारत-रूस संयुक्त

अनुसंधान प्रस्ताव आह्वान

2023

<u>अंतिम तारीख 15 जून 2023</u>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार और **रूसी विज्ञान फाउंडेशन (आरएसएफ)** के बीच मौलिक विज्ञान के क्षेत्रों में भारत और रूस में संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों के निधीयन हेतु व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक परियोजना के लिए संबंधित राष्ट्रीय मुद्रा में **100,000** अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि तक वार्षिक निधीयन प्राप्त होगा।

डीएसटी-आरएसएफ सहयोग के अंतर्गत डीएसटी और आरएसएफ सक्रिय भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेंगे:

1. नव सामग्री;
2. स्वच्छ ऊर्जा;
3. स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल तथा औषधि;
4. सुरक्षित खाद्य सामग्री;
5. स्मार्ट परिवहन और दूरसंचार;
6. पौध एवं पशु जैव-प्रौद्योगिकी;
7. कृत्रिम बुद्धिमता;
8. भूकंप और समुद्र विज्ञान।

अन्य अनुसंधान क्षेत्रों में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। <u>परियोजना अनुदान की शर्तें</u>

- प्रत्येक परियोजना की अवधि तीन वर्षों की होगी।
- प्रत्येक पक्ष की ओर से परियोजना का कार्यान्वयन परियोजना दल द्वारा किया जाएगा जिसमें कम से कम 4 सदस्य और अधिकतम 10 सदस्य तक होंगे। यह वांछनीय है कि दल में कम से कम 50% युवा वैज्ञानिक/संकाय सदस्य (45 वर्ष से कम आयु के) हों।
- भारतीय पीआई को विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/संस्थानों में नियमित पदों पर कार्यरत वैज्ञानिक/संकाय

सदस्य होना चाहिए। भारतीय प्रधान अन्वेषक (पीआई) कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो परियोजना की प्रस्तावित अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो रहा हो या मूल संस्थान को छोड़ने वाला हो।

- दोनों पक्षों के परियोजना समन्वयकों द्वारा पिछले 5 वर्षों में एससीआई सूचीबद्ध पत्रिकाओं में कम से कम 10 अनुसंधान लेख प्रकाशित किया गया हो।
- यह प्रत्याशा है कि प्रत्येक सहायित परियोजना का परिणाम एससीआई सूचीबद्ध पत्रिकाओं में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशनों के रूप में होगा।
- भारतीय और रूसी दलों के प्रमुख को परामर्श करके,डीएसटी और आरएसएफ द्वारा निर्धारित संबंधित प्रपत्रों का प्रयोग करके अपनी-अपनी नोडल एजेंसी को सदृश आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। केवल एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत; निर्धारित प्रपत्र पर न दिए गए और अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत:, भारतीय/रूसी दल प्रमुख को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समकक्ष द्वारा पूर्व नोडल एजेंसियों के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सदृश आवेदन अंतिम तारीख से प्रस्तुत किया जाए।
- दल प्रमुख इस प्रतिस्पर्धा में भागीदारी करने के लिए केवल एक आवेदन प्रस्तुत करने का हकदार होगा। किसी संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- वे भारतीय शोधकर्ता जो वर्तमान में ऐसी किसी भारत-रूस संयुक्त परियोजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिसके 31 दिसम्बर 2023 के पश्चात समाप्त होने की संभावना हो, वे इस आहवान के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पात्र नहीं हैं।
- वे भारतीय वैज्ञानिक भी, जो पूर्व में डीएसटी (अंतर्राष्ट्रीय समूह) द्वारा सहायित और 31 दिसम्बर 2023 तक समाप्त न हो सकने वाली दो या उससे अधिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी रूप में संलग्न हैं, अनुसंधान दल का सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं।
- सभी प्रस्तावों के साथ पूरे परियोजना दल का संक्षिप्त जीवन-वृत्त होना चाहिए जिसमें उनकी संबद्धता, जन्मतिथि, शैक्षणिक तथा अनुसंधान कार्यकलापों/पुरस्कारों की मुख्य-मुख्य बातें दर्शाई गई हों।
- भारतीय शोधकर्ताओं को www.onlinedst.gov.in पर उपलब्ध प्रपत्र में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए। पंजीकरण के पश्चात, उन्हें स्कीम और

प्रपत्र खंड पर जाना चाहिए जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (द्विपक्षीय) में इस आह्वान के बारे में विवरण उपलब्ध होगा।

- दोनों प्रणालियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना का शीर्षक समान होना चाहिए।
- प्रस्ताव आह्वान प्रारंभ होने की तारीख **17 मार्च 2023** है।
- चयनित परियोजनाओं की सूची **15 दिसम्बर**, **2023** तक वेबसाइट www.dst.gov.inऔर www.rscf.ruपर डाला जाना अपेक्षित है।
- रूसी और भारतीय दलों को आह्वान दस्तावेजों में निर्धारित राष्ट्रीय विनियमों का पालन करना चाहिए।
- परियोजनाओं के प्रारंभ होने की संभावित तिथि: **1 अप्रैल 2024।**
- आरएसएफ के एक अनुदान की राशि वार्षिक रूप से 4 (चार) से 7 (सात) मिलियन रूबल के बीच होगी। इस विभाग के एक अनुदान की राशि वार्षिक रूप से 7 (सात) मिलियन भारतीय रूपये तक होगी।

संयुक्त परियोजना हेतु उपलब्ध सहायता का प्रकार:

प्रत्येक परियोजना के लिए डीएसटी से 70,00,000 रू. तक और आरएसएफ से 70,00,000 रूबल तक वार्षिक निधीयन प्राप्त होगा। इस निधीयन में किसी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित व्यय शामिल होंगे:

- **उपभोज्य सामग्री, सहायक सामग्री, अध्येतावृतियां और अन्य अनुसंधान व्यय;**किसी देश के परियोजना दल द्वारा किए गए व्यय को उसके देश द्वारा वहन किया जाएगा अर्थात् डीएसटी परियोजना के भारतीय पक्ष संबंधी व्यय को सहायित करेगा जबकि आरएसएफ रूसी पक्ष के व्यय की पूर्ति करेगा।
- **आदान-प्रदान दौरे के घटक हेतु सहायता:** प्रेषक पक्ष वापसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराए, आवास, प्रति दिवस व्यय आदि का प्रावधान करेगा। वर्तमान में, भारतीय वैज्ञानिकों के रूस के अनुमोदित दौरे के लिए निम्नलिखित व्यय हेतु सहमति प्रदान की गई है: अंतर्राष्ट्रीय किराया (इकोनॉमी भ्रमण श्रेणी में निकटतम हवाई अड्डे से गंतव्य शहर तक), एक सप्ताह से कम समय की यात्रा के लिए 50 अमरीकी डॉलर प्रति दिन और उससे लंबी यात्रा के लिए 40 डॉलर प्रति दिन का नकद भत्ता; 100 अम. डॉलर प्रति रात्रि तक आवास भत्ता (रसीद के अध्यधीन मॉस्को/सेंट पीट्सबर्ग के मामले में 125 अम. डॉलर),25 अम. डा. तक स्थानीय परिवहन (रसीद के अध्यधीन) और यात्रा अवधि के लिए सिल्वर श्रेणी में विदेशी चिकित्सा बीमा।
- उपभोज्य सामग्री के लिए भारतीय पक्ष के बजट के अधिकतम 40% की अनुमति

होगी।

- उपकरणों के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
- **आकस्मिक व्यय और संस्थागत उपरि व्यय: डीएसटी मानकों के अनुसार।**

<u>आवेदनों का आकलन</u>

अधिसूचितदौरकीसमापनतिथितकप्राप्तसभीआवेदनसहकर्मीसमीक्षाप्रक्रियासेगुजरेंगेऔर फिर उन्हेंविचार किए जानेऔररैंकिंगकेलिएस्वतंत्रसलाहकारपैनलकोभेजाजाएगा।डीएसटीऔरआरएसएफसहमत मानदंडोंकेआधारपरआवेदनोंकीसमानांतरसमीक्षाकरेंगे।डीएसटीऔरआरएसएफसमीक्षापरिणामोंकेआधारपरसंयुक्तनिर्णयलेंगे।डीएसटीऔरआरएसएफसमीक्षाप्रक्रियाकेभागकेरूपमेंप्रस्तावितकार्यकीप्रस्तुतिकेलिएपरियोजनासमन्वयकोंकोआमंत्रितकरनेपरविचारकरसकतेहैं।

निधीयन का पात्र बनने पर विचार किए जाने केलिएआवेदनोंकोसकारात्मकरैंकिंग प्राप्तहोनीचाहिए।डीएसटीऔरआरएसएफद्वारासफलआवेदनोंकेसंयुक्तचयनपरसंबंधितनोडलएजेंसियोंद्वाराचर्चाकीजाएगीऔररैंकिंगके अनुसारसूचितकियाजाएगा।सभी निर्णयडीएसटी-आरएसएफसंयुक्तकार्यसमूहद्वाराकिएजातेहैंऔरवे अंतिमहोंगे।

आवेदन प्रस्तुत करना

भारतीय शोधकर्ता वेबसाइट www.dst.gov.in / https://onlinedst.gov.in/ से प्रस्ताव प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें डीएसटी के ई-पीएमएस पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह भरा गया आवेदन प्रपत्र और समस्त प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रस्ताव अनिवार्यत: उपयुक्त चैनल के माध्यम से 15 जून 2023 तक https://onlinedst.gov.in/ में दिए गए ई-आवेदन प्रणाली के जरिए डीएसटी को प्रस्तुत किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके रूसी समकक्ष द्वारा सदृश शीर्षक वाला आवेदन अंतिम तारीख तक जमा कर दिया गया है। **ई-पीएमएस पोर्टल के जरिए या अंतिम तारीख तक प्रस्तुत न किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।**

विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के लिए कृपया भारत या रूस में निम्नलिखित व्यक्ति से संपर्क करें:

भारत के लिए	**रूस के लिए**
डा. शिवाशीष दास	श्रीकोनोवालावे सर्गेई

वैज्ञानिक 'सी', अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग	अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	रूसीविज्ञान फाउंडेशन
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत सरकार	जीएसपी-2,109992, यूएल.सोल्यांका,डी.14,
टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड	एसटीआर.3मॉस्को (रूस)
नई दिल्ली - 110016, भारत	ई-मेल: konovalov@rscf.ru
दूरभाष: +91-11-26590317	यूआरएल:www.rscf.ru
ई-मेल: sdash.dst@gov.in	
यूआरएल:www.dst.gov.in /www.onlinedst.gov.in	

डी एस टी उपयोग हेतु
क्षेत्र :......................
क्र. सं. ....
प्राप्ति की तारीख ....

डीएसटी - आरएसएफसंयुक्त परियोजना आह्वान

♥♥♥♥♥♥♥

परियोजना प्रस्ताव

परियोजना शीर्षक :

प्रमुख प्रमुख शब्द
(अधिकतम 5)

क्षेत्र
कृपया वह क्षेत्र बताएं जिसके अंतर्गत
आपका प्रस्ताव आता है

परियोजना समन्वयक : **भारतीय** **रूसी**
(प्रत्येक ओर से एक)
(नाम, पदनाम, पता, दूरभाष,
फैक्स, ई-मेल)

अन्य प्रतिभागी :
(उपयोगकर्ता एजेंसी(यों) सहित)

प्रस्तावित प्रारंभिक तिथि :

अवधि :

उद्देश्य :

परियोजना का संक्षिप्त विवरण :
(कृपया कार्यप्रणाली और प्रत्याशित परिणामों सहित 1-2 पृष्ठ का परियोजना सारांश संलग्न करें)

प्रस्तावित विषय/अनुसंधान के विषय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य :
(लगभग 200 शब्दों में), कृपया प्रमुख ग्रंथ सूची संदर्भ प्रदान करें।

रूस के साथ प्रस्तावित अनुसंधान विनिमय की आवश्यकता और महत्व: :

नियोजित लक्ष्य :

समय - सीमा	लक्ष्य	भारतीय दायित्व	रूसी दायित्व
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
पहली छमाही			
दूसरी छमाही			
तीसरी छमाही			
चौथी छमाही			
पाँचवी छमाही			
छठी छमाही			

संयुक्त अनुसंधान परियोजना के परिणाम और प्रभाव को मापने के तरीके सुझाएं

परिणामों के संयुक्त उपयोग के लिए प्रस्तावित पद्धति :
(संयुक्त प्रकाशन, उद्योग को परिणामों का अंतरण, संयुक्त उद्यमों की स्थापना आदि)

भारतीय प्रधान अन्वेषक के साथ चल रही / पूरी की गई परियोजनाएँ (पिछले 5 साल)

राष्ट्रीय परियोजनाएं:

क्र.सं.	**परियोजना का शीर्षक**	**प्रायोजन एजेंसी**	**बजट**	**स्थिति**

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं:

क्र.सं.	**परियोजना का शीर्षक**	**सहयोगी वैज्ञानिक और संस्थान का नाम**	**प्रायोजक एजेंसी**	**बजट**	**स्थिति**

विनिमय दौरा जिसकीलक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होसकती है:

	भारत से रूस		**रूस से भारत**	
	व्यक्तियों की संख्या x विज़िट	**प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा के लिए अवधि**	**व्यक्तियों की संख्या x विज़िट**	**प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा के लिए अवधि**
प्रथम वर्ष -				
द्वितीय वर्ष -				
तृतीय वर्ष -				

डीएसटी से अपेक्षित वित्तीय सहायता :

	प्रथम वित्तीय वर्ष	द्वितीय वित्तीय वर्ष	तृतीय वित्तीय वर्ष
उपभोग्य और सहायक उपकरण			

जनशक्ति			
आकस्मिकता			
विनिमय दौरा			
कुल			

नोट: परियोजना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और अगले वर्ष में इसकी निरंतरता डीएसटी और आरएसएफ द्वारा मूल्यांकन की गई प्रगति पर निर्भर करेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारतीय परियोजना प्रमुख को डीएसटी के लिए निर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरणी जमा करने की भी आवश्यकता होती है।

उपभोज्य सामग्रियों के लिए औचित्य (मात्रा सूची प्रदान की जानी है)

जनशक्ति के लिए औचित्य, यदि कोई हो

परियोजना कार्यान्वयन के लिए मूल संस्थान (संस्थानों) द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की सूची।

परियोजना के लिए संस्थान/समूह/विभाग/अन्य संस्थानों के पास उपलब्ध उपकरण:

निम्नलिखित के पास उपलब्ध उपकरण	उपकरण का जेनरिक नाम	मॉडल, निर्माण और खरीद का वर्ष	उपलब्ध सहायक उपकरण और उपकरण के वर्तमान उपयोग सहित टिप्पणियाँ
पीआई और उसका समूह			
पीआई विभाग			
क्षेत्र में अन्य संस्थान			

सहायता के अन्य स्रोत

क्या यह शोध वर्तमान में अन्य स्रोतों द्वारा सहायित है?

हाँ	नहीं

यदि हां, तो कृपया सहायता के स्रोत, मात्रा और अवधि बताएं।

भारतीय पक्ष:

रूसी पक्ष:

क्या यह परियोजना वित्तीय सहायता के लिए अन्य एजेंसियों को प्रस्तुत की गई है?

हाँ	नहीं

यदि हां, तो कृपया बताएं कि कौन सी एजेंसियां और कब।

भारतीय पक्ष:

रूसी पक्ष:

(परियोजना समन्वयक के हस्ताक्षर)

<u>आवश्यक संलग्नक</u>

1. प्रस्तावित संयुक्त कार्य को पूरा करने के लिए रूसी समकक्ष की सहमति।
2. संस्थान का अनापत्ति/अग्रेषण पत्र।
2. परियोजना समन्वयकों का जीवनवृत्त (अधिकतम: (2 पृष्ठ) जिसमें अधिवर्षिता की तिथि/पूरा कार्यकाल, विशेषज्ञता का क्षेत्र, वर्तमान शोध रुचियां, महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं।